-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **चारपहिया वाहनो से खरतनाक स्टंट करने वाले युवको पर यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही । पुलिस द्वारा चारपहिया वाहनों को सीज करते हुए का किया गया चालान ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.02.2025 को सोशल मीडिया पर चारपहिया वाहनों से खतरनाक स्टंट का वीडियो डालने वाले युवकों के चारपहिया वाहनो को सीज करते हुए का चालान किया गया । गौरतलब हो कि सोशल मीडिया पर निगरानी के दौरान मीडिया सेल के संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें कुछ युवकों द्वारा चारपहिया वाहनो पर खतरनाक स्टंट किया जा रहा था । वीडियो को संज्ञान में लेकर तत्काल यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वाहन सं0 UP90 AJ 0672 के मालिक पवन पुत्र ब्रजमोहन ग्राम महोखर थाना कोतवाली नगर व वाहन सं0 UP 90 AH 8190 के मालिक रामू पुत्र रामसनेही ग्राम कालूकुआं थाना कोतवाली नगर के वाहनों को सीज करते हुए चालान किया गया । साथ ही वाहन मालिको के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई । बता दें कि पुलिस द्वारा अन्य वाहनों की भी तलाश करते सीज करने की कार्यवाही की जा रही है । आमजनमानस से अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह के खतरनाक स्टंट न करें यह अपने व आमजनमानस के लिए जानलेवा हो सकता है । कृपया सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें ।